राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.2(24)नविवि/अलवर-भिवाडी/2017 जयपुर, दिनांक

14 MAR 2018

सचिव,
नगर विकास न्यास,
अलवर ।

विषयः-मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर के दौरान नियमन के प्राप्त प्रकरणों पर मार्गदर्शन बाबत ।
संदर्भः-आपका पत्र क्रमांकः एफ-2/आयोजना/12673/17 दिनांक 21.11.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्र्गत संदर्भित पत्र के क्रम में राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर लिए गये निर्णयानुसार निम्नप्रकार बिन्दुवार मार्गदर्शन प्रदान किया जाता हैः-

1. बिन्दु संख्या-1 के संबंध में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए की उप-धारा(7) के खण्ड (क) के अनुसार धारा 90-ए की अनुज्ञा प्रदान करने के आदेश के साथ ही आवेदक व्यक्ति के खातेदारी अधिकार (tenancy right) उस भूमि से समाप्त हो जायेंगे । यह प्रावधान दिनांक 17.06.1999 के बाद के प्रकरणों के लिए लागू है। अतः धारा 90-ए की अनुज्ञा 17.06.1999 के बाद के उन्हीं प्रकरणों में जारी की जा सकती है जिनमें आवेदित भूमि खातेदारी की हो । गैर खातेदारी की भूमि खातेदारी भूमि से भिन्न है । इसलिए गैर खातेदारी भूमि पर 17.06.1999 के बाद के प्रकरणों में 90-ए की अनुज्ञा नहीं दी जाती है ।

धारा 90-ए की उप-धारा (8) के प्रावधानों में खातेदारी अधिकार (tenancy right) जैसे शब्दों का उपयोग नहीं हुआ है बल्कि कृषि भूमि या जोत या उसके भाग को धारण करने वाले व्यक्ति के अधिकार और हित (right and interests) को समाप्त करने की

आज्ञा जारी करने का उल्लेख है । धारा 90-ए(8) में वर्णित इन अधिकारों और हितों में गैर खातेदारी अधिकार भी शामिल माने जा सकते हैं । अतः जहाँ ऐसी भूमियों पर 17.06.1999 से पूर्व आबादी बसी हुई है, तो वहां पर धारा 90-ए(8) के अनुसार काबिज भूखण्डधारियों को नियमन की कार्यवाही की जा सकती है । लेकिन नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा बताया गया है कि भूमि अवाप्तशुदा है और न्यास के जाम दर्ज है, तो ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति के हित और अधिकार धारा 90-ए(8) के तहत समाप्त करने का अब प्रश्न नहीं रहा । अतः इस परिस्थिति में विभागीय परिपत्र क्रमांक प.3(50) नविवि/3/23012 पार्ट दिनांक 06.01.2016 के पैरा 25 (1) (ii) के अनुसार राजकीय भूमि मानते हुए कार्यवाही की जावे ।

2. बिन्दु संख्या-2 के संबंध में न्यास द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रकरण 17.06.1999 के पूर्व की कॉलोनी के हैं या इसके बाद के । यदि 17.06.1999 से पूर्व के प्रकरण हैं, तो स्व-प्रेरणा से कार्यवाही अब भी की जा सकती है और यदि इसके बाद के प्रकरण हैं, तो विभागीय परिपत्र क्रमांक प.2(3)नविवि/3/2016-पार्ट दिनांक 25.04.2017 के बिन्दु संख्या (2)(ii) के अनुसार ही समय सीमा के भीतर कार्यवाही सम्भव थी ।

राज्यपाल के आदेश से,

EOL

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
1-विशिष्ठ सहायक माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2-रक्षित पत्रावली ।

13/3/18
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम